न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – रेखा गूर्जर आर.ए.एस
मुकदमा नम्बर 07 / 2026 प्रार्थनापत्र

01. श्री ज्ञाननाथ पुत्र पहलादनाथ जोगी आयुवयस्क निवासी– बागजणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. श्री मेवानाथ पुत्र प्रभुनाथ जोगी आयु वयस्क निवासी– बागजणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— प्रार्थी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— विपक्षी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–
1. श्री अशोक कुमार लखारा —— अधिवक्ता प्रार्थी
2. पेरोकार सरकार —— उपस्थित

:: निर्णय ::

दिनाक– 11.02.2026

प्रार्थी के द्वारा विपक्षी के विरूद्व एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा– 251–ए राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद चिताम्बा पटवार हल्का चिताम्बा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराजियात जिसके आराजी के खाता सख्या 201 के आराजी नम्बर 1068, 1069/1, कुल किता 02 रकबा 0.3035 हैक्टयर भूमि स्थित है। जो कि प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज होकर प्रार्थी का कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजी मे आने जाने का एकमात्र रास्ता जो कि जो कि सरकारी रास्ता आराजी नम्बर 1084 जो कि बिलानाम से होकर अपनी प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित आराजी नम्बर 1068, 1069/1, कुल किता 02 रकबा 0.3035 हैक्टयर भूमि मे आता जाता जाता है। जिसमे से 30 फीट चौडाई का रास्ते को राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज कराया जावे।

प्रार्थी का आवेदन प्रस्तुत होने पर पंजीबद्व किया गया व विपक्षीगण को सम्मन नोटिस तामिल होने के पश्चात प्रकरण मे मौके का निरीक्षण कर प्रार्थी की आराजियात पर प्रस्तावित रास्ता है अथवा नही या वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध है या नही, इस तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार करेड़ा से मंगवाई जाने की आदेशिका पारित की।

प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए राजस्व अभिलेख , नक्शा ट्रेस एवं तहसीलदार द्वारा तैयार कराई मौका निरीक्षण रिपोर्ट की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता प्रार्थी को आराजियात पर आने जाने , संज बैलगाडी एंव कृषि उपकरण लाने ले जाने के कृषि कार्य का कोई वैकल्पिक रास्ता न होना रिपोर्ट से दृष्टिगत होता है। तहसीलदार द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के नाम पर सरहद चिताम्बा पटवार हल्का चिताम्बा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराजियात, जिसके आराजी के खाता सख्या 201 के आराजी नम्बर 1068, 1069/1, कुल किता 02 रकबा 0.3035 हैक्टयर भूमि दर्ज रेकार्ड है। आराजी नम्बर 1084 विपक्षी के नाम दर्ज रेकार्ड है , मौके पर वर्तमान मे उक्त आराजियात पर आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता भी नही है। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता बिलानाम आराजी नम्बर 1084 मे से जो कि निकटतम रास्ता है। रास्ते के रूप मे 0.0405 हैक्टयर भूमि आती है, रास्ते मे ली जाने वाली भूमि का बाजार मूल्य डी.एल.सी. रेट की दुगुनी राशि जो विपक्षी को देय है, प्रार्थी अदा करने को तैयार है।

मैने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया , प्रार्थी खाता सख्या 201 के आराजी नम्बर 1068, 1069/1, कुल किता 02 रकबा 0.3035 हैक्टयर भूमि मे ने जाने हेतु विपक्षी की आराजी नम्बर 1084 रकबा 0.3920 हैक्टयर मे से 9 मीटर चौडाई एवं लम्बाई 45 र कुल 405 मीटर यानी 0.0405 हैक्टयर भुमि रास्ता दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त चन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

उपखण्ड अधि
सहायक कल

:: आदेश ::

प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर प्रार्थी की सरहद चिताम्बा पटवार हल्का चिताम्बा भू अभिलेख निरीक्षक व चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकार की कृषि राजियात जिसके खाता संख्या 201 के आराजी नम्बर 1068, 1069/1, कुल किता 02 रकबा 0.3035 क्टयर भूमि मे आने जाने हेतु विपक्षी की आराजी नम्बर 1084 रकबा 0.3920 हैक्टयर मे से 9 मीटर चौड़ाई व लम्बाई 45 मीटर कुल 405 मीटर यानी 0.0405 हैक्टयर भूमि के रूप मे कृषि कार्य हेतु आने जाने का स्ता दिया जाना स्वीकार किया जाता है तथा इसी भांति राजस्व नक्शा मे प्रस्तावित नक्शे अनुसार रास्ता ायम करने की आज्ञा पारित की जाती है। कि रास्ते के लिए आरक्षित की जाने वाली भूमि आराजी नम्बर 084 रकबा 0.3920 हैक्टयर मे से 0.0405 हैक्टयर भूमि जिसकी हैक्टयर मे गणना कर रास्ते की भूमि की ी.एल.सी. दर से दो गुणा मूल्य प्रार्थी से वसूल कर विपक्षी को क्षतिपूर्ति हेतु अदा की जावे। इस निर्णय की ालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 11.02.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रेखा गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)